

राजस्थान सरकार,  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।  
क्रमांक प.5 (58)कृ.आ./एनएमओओपी/एमएम-III/2016-17/338-385 दिनांक 4.5.16

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
बायोफ्यूल ऑथोरिटी, योजना भवन, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी एवं सचिव,  
एजोर्प, श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर।

विषय :- राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन के अन्तर्गत "कृषकों के खेतों पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण" कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रम में।

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण परियोजना के तहत वर्ष 2016-17 में जिलेवार लक्ष्य मय दिशा-निर्देश संलग्न करके भिजवाये जा रहे हैं। आवंटित लक्ष्यों के अनुसार निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन की सुनिश्चितता करावें :-

1. चयनित जिलों में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करके इच्छुक कृषकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मय पौधों की किस्मवार मांग प्राप्त किये जावें।
2. इच्छुक आवेदकों से किस्मवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार वृक्ष जनित तिलहनों के पौधों की कृषक हिस्सा राशि प्राप्त करें।
3. चयनित कृषकों के वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण हेतु आवश्यक सम्पूर्ण तैयारी एवं पौध रोपण की कार्यवाही तकनीकी अधिकारियों की देख-रेख में सम्पादित कराई जावे।

अतः उपरोक्त अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाकर अर्जित की गई प्रगति से समय-समय पर अवगत कराने की कार्यवाही करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(डॉ. नीरज कुमार पवन)  
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट  
शासन सचिव कृषि

क्रमांक प.5 (58)कृ.आ./एनएमओओपी/एमएम-III/2016-17/338-385 दिनांक 4.5.16  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त .....
4. उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त .....

  
(एम.एल.सालोदिया)  
अतिरिक्त निदेशक कृषि (एनएमओओपी)

## नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम अन्तर्गत

वृक्ष जनित तिलहनों की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य

राज्य में भारत सरकार द्वारा एनएमओओपी योजना के अन्तर्गत मिनी मिशन ऑन टी.बी.ओ. एस (ट्रीबोर्न ऑइल सीड्स / वृक्ष जनित तिलहन) लागू किया है। राजस्थान में परम्परागत फसलों के साथ साथ फसल विविधिकरण में अन्य व्यवसायिक फसलों के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से उपयुक्त एवं संभावना वाली फसलों के वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुए सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह मिशन काफी हद तक सहयोगी होगा।

राजस्थान में मिनी मिशन-III में नीम, करंज, जोजोबा, महूआ, जेट्रोफा वृक्ष सम्मिलित है। एन.एम.ओ.ओ.पी. के अन्तर्गत वृक्ष जनित तिलहनों के उत्पादन के लिए विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन सहायता/अनुदान, प्रावधान के अनुसार दिशा-निर्देश निम्नानुसार है।

चयन हेतु पात्रता एवं आवंटन क्षेत्र :-

1. कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें।
2. मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यथासंभव सघन क्लस्टर के रूप में किया जावें। इसके लिये कृषकों का चयन यथासंभव समूह के रूप में किया जावें।
3. मिशन गतिविधियों में सहायता/अनुदान के प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावें। तथा इस हेतु आवंटित कृषक प्रशिक्षणों का गम्भीरता से आयोजन किया जावें।
4. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कृषक/लाभार्थी चयन में आधुनिक हाई-टेक फसल उत्पादन तकनीक एवं ड्रिप संयंत्र पद्धति आदि अपनाने के इच्छुक कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
5. मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावें।
6. मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक उद्यान/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
7. मिशन में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चिता करावें।
8. मिशन में सभी कार्यक्रम/गतिविधियों के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे।
9. मिशन के क्रियान्वयन में सहयोग के लिये कृषि विश्वविद्यालय, बायोफ्यूल ऑथोरिटी एवं एजोर्प से सम्पर्क किया जावें। बायोफ्यूवल ऑथोरिटी के न. 9461164426 आर.ओ.सी.एल. के न. 0141-2554106 एजोर्प के न. 9929606427 एवं तकनीकी जानकारी के लिये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एवं तकनीकी

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ.पी.सी.चपलोट के मो.न. 9414497656 से सम्पर्क कर सकते हैं।

10. वर्तमान में यह कार्यक्रम वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं एजोर्प (जोजोबा) तथा बायोफ्यूल ऑथोरिटी (अन्य सभी) के माध्यम से संचालित होगा। आवंटन सम्बन्धित संस्थाओं को लक्ष्यानुसार किया जा चुका है। (सारणी-3)
11. कृषि आयुक्तालय से प्राप्त भौतिक लक्ष्य बायोफ्यूल ऑथोरिटी, जयपुर अपने स्तर पर बदलाव कर सकता है एवं जिले की जलवायु के आधार पर Plant species में भी inter change कर सकते हैं।
12. सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिए गए गाँवों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

मिशन के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला स्तर पर उपनिदेशक कृषि (वि.) प्रभावी समीक्षा हेतु नोडल ऑफिसर मनोनीत किये जाते हैं।

अनुदान:-नेशनल मिशन ऑन ऑइलसीड्स एवं ऑइलपॉम अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान देय है -

1. पौधरोपण पर अनुदान-नर्सरी एवं वृक्षारोपण के समन्वित विकास (Integrated development of nurseries & plantation) के लिये अधिकतम कीमत का 100 प्रतिशत अथवा निम्न सारणी के अनुसार जो भी कम हो अनुदान देय है:-

सारणी-1

क्र. स.	वृक्ष का नाम	वृक्षों की संख्या/ प्रति है0	वृक्षारोपण की कीमत प्रति है0 (राशि रू0)
1	नीम	400	17,000
2	जोजोबा *	1513	35,000
3	करंज	500	20,000
4	महुआ	200	15,000

\*ड्रिप संयंत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार देय होगी।

\* जोजोबा के 1513 पौधों (250 बीजू पौधे एवं 25 पौधे बीजू गैपफिलिंग तथा 1125 मादा पौधे रूटेड कटिंग एवं 113 पौधे मादा रूटेड कटिंग गैपफिलिंग, कुल 1513 पौधे) में नर, मादा एवं गैपफिलिंग के पौधे सम्मिलित हैं।

2. संधारण पर अनुदान –वृक्ष जनित तिलहनों के संधारण हेतु निम्न सारणी के अनुसार प्रति वर्ष अनुदान देय होगा :-

सारणी-2

क्र. स.	वृक्ष का नाम	गेस्टेशन पीरियड(वर्ष)	गेस्टेशन पीरियड के दौरान संधारण हेतु प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ष देय (राशि रू0) में
1	नीम	5	2000
2	जोजोबा	4	3200
3	करंज	4	2000
4	महुआ	8	2000

3. वृक्ष जनित तिलहनों के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान-मिनीमिशन-III के अन्तर्गत लगाए गए वृक्ष जनित तिलहनों से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य हेतु 1000/- रूपये प्रति हेक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर (पौधों की पुष्प अवस्था तक) अनुदान देय होगा।

#### अनुदान प्रक्रिया-

अ. पौधों/वृक्षों पर अनुदान :-

- कृषक से आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगे -
  - निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय फोटो। (संलग्न परिशिष्ट - 1)
  - भूमि की जमाबंदी/पासबुक की नवीनतम प्रति (छः माह से अधिक पुरानी ना हो) इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त जमाबंदी भी कृषक के सत्यापन के पश्चात् मान्य होगी।
  - भूमि एवं पानी विश्लेषण रिपोर्ट (नहरी पानी से सिंचाई की स्थिति में पानी विश्लेषण की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है)।
  - घोषणा पत्र सादे कागज पर। (संलग्न परिशिष्ट-2)
  - कृषक हिस्सा राशि यदि बनता है तो।
- जिला कार्यालय उक्त आवेदन पत्रों के अनुसार कृषको का चयन कर सूची बायोफ्यूल ऑथोरिटी एवं एजोर्प कार्यालय,श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर को प्रेषित करेंगे।
- व्यक्तिगत/कृषक की भूमि पर TBOs के पौधारोपण हेतु जिले के कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद जारी कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को सूचित कराते हुये बाँयोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर को भिजवायेगें। बाँयोफ्यूल प्राधिकरण, उपनिदेशक



कृषि (वि०) जिला परिषद के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को बजट आवंटन करेंगे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उपनिदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद को कृषको को भुगतान हेतु बजट उपलब्ध करायेंगे।

4. सरकारी/संस्थागत भूमि पर TBOs के पौधरोपण की क्रियान्विती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से की जावेगी। इस हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/संस्था TBOs के पौधरोपण के प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को प्रस्तुत करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ग्राम पंचायत/संस्था से प्राप्त प्रस्ताव पर अपनी अनुसंशा कर बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर को भिजवायेंगे। बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अनुसंशा के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर संबंधित ग्राम पंचायत/संस्था को सीधे भुगतान हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को बजट आवंटन करेंगे।
5. वर्ष 2016-17 से जोजोबा के अतिरिक्त, व्यक्तिगत/कृषक के खेत की मेंड (Boundary plantation) पर TBOs के पौधरोपण करने पर भी अनुदान pro-rata basis दिया जायेगा।
6. यदि कृषक हिस्सा राशि बनती है तो जिला स्तर पर उपनिदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद कृषक हिस्सा राशि प्राप्त कर बायोफ्यूल प्लांट्स के लिये बायोफ्यूल ऑथोरिटी, तिलक मार्ग, जयपुर एवं जोजोबा के लिए एजोर्प, जयपुर को भुगतान करेंगे।
7. प्रति कृषक अनुदान दिए जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
8. सभी श्रेणी के किसानों को नये पौधरोपण पर नियमानुसार अनुदान देय है।
9. अनुदान राशि की गणना वृक्ष प्रति हेक्टेयर के आधार पर की जायेगी।
10. जोजोबा के पौधे एजोर्प, जयपुर के माध्यम से तथा नीम, करंज एवं महुआ के पौधे वन विभाग के माध्यम से अथवा विभाग द्वारा पंजीकृत नर्सरियों से उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ने पर अनुमोदित प्रावधानुसार ड्रिप संयंत्र के लिये केवल जोजोबा में अतिरिक्त सहायता देय होगी। जिसके लिये अनुदान उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जावेगा। इस हेतु कृषक पृथक से ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु पत्रावली उद्यान विभाग के संबंधित कार्यालय में प्रेषित कर अनुदान प्राप्त करेंगे। इस हेतु उद्यान विभाग को अनुरोध किया गया है कि टी.बी.ओ.एस. के प्रकरण में प्राथमिकता पर अनुदान उपलब्ध कराया जावे।

## ब. संधारण पर अनुदान:-

इस क्रम में टी.बी.ओ.एस पर प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवायी जाने वाली राशि के अनुदान के दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से प्रस्तावित है -

क्र. सं.	अनुदान राशि	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
1	पौधे लगाने के बाद संधारण पर होने वाले व्यय के पेटे राशि सारणी 2 के अनुसार प्रति वर्ष का अनुदान देय होगा।	पौधे लगाने के द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)	(90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से)

वृक्षों का निरीक्षण कृषि विभाग/बायोफ्यूवल ऑथोरिटी /एजोर्प के कार्मिकों द्वारा किया जावेगा।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) नोडल अधिकारी होंगे।

## स. अन्तर शष्य पर अनुदान :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए वृक्ष जनित तिलहनों से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलें अन्तर शष्य के रूप में उगाए जाने की पुष्टि पर 1000/- रुपये प्रति हेक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर (पौधों की पुष्प अवस्था तक) अनुदान देय है। अन्तर शष्य किए जाने की पुष्टि सहायक कृषि अधिकारी अथवा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। यह अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जबकि अन्तर शष्य की जा रही है एवं पौधों की आयु के आधार पर आवश्यक प्रतिशत पौधे जीवित होने की शर्त पूरी की जाती है। अनुदान की राशि कृषकों को डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेगी।

## वित्तीय प्रगति प्रक्रिया :-

1. विभिन्न वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र विस्तार हेतु सम्बन्धित वृक्ष की Expert संस्थाओं को Fund Transfer किया जा रहा है तथा किसानों को अनुदानित दर पर इन संस्थाओं द्वारा ही पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. जोजोबा के लिए एजोर्प को, जैट्रोफा, नीम, करंज एवं महुआ के लिए Biofuel Authority को बजट उपलब्ध कराया जायेगा।
3. चयनित जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर आवंटित बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था द्वारा दिया जायेगा तथा इसके सम्बन्ध में की जाने वाली ऑडिट की भी पूर्ण जिम्मेदारी इन संस्थाओं की ही होगी।
4. इन संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार प्रेषित किया जायेगा। वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र विस्तार की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर भिजवायी जावेगी।

TBOs	Jojoba	Neem	Karanj	Mahua
जिला/Targets	Target	Target	Target	Target
श्रीगंगानगर	10			
बीकानेर	10			
नागौर	5	5		
चूरु	5			
हनुमानगढ	5			
टोंक		5	10	
जोधपुर		5		
जैसलमेर	5			
झुंझूनू	10			
उदयपुर				10
डूंगरपुर				10
राजसमंद		5		10
चित्तौडगड		5		
बांसवाडा				10
अलवर			5	
जयपुर		5	10	
भरतपुर			5	
दौसा			5	
धौलपुर			5	
करौली			5	
सवाई माधोपुर			5	
पाली		5		
सिरोही		5		
अजमेर		5		
बाडमेर		5		
प्रतापगढ				10
योग	50	50	50	50

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों की भागीदारी क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत सुनिश्चित करें तथा प्रगति रिपोर्ट में इन किसानों की संख्या पृथक से अंकित करें। (संलग्न परिशिष्ट-4)

## शपथ-पत्र

मैं/हम श्री .....पुत्र  
 श्री ..... ग्राम .....तहसील  
 ....., जिला ..... राजस्थान के निवासी है।

मैं/हम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन अन्तर्गत के पौध रोपण के लिये टिश्यू कल्चर/वेजिटेटिव प्रपोगेशन से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डनिंग किये हुये पौधें/ सामान्य विधि से उत्पादित पौधे अनुदानित दर पर प्राप्त कर पौध रोपण हेतु शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि-

1. यह है कि मैं/हम ..... की पौध रोपण सामग्री को हमारे स्वयं के नाम भू-स्वामित्व वाली जमीन में रोपित करेंगे।
2. यह है कि मैं/हम .....पौध रोपण से संबंधित समय-समय पर आयोजित होने वाले कृषक प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रमों में समय-समय पर निर्देशानुसार उपस्थित होते रहेंगे।
3. यह है कि मेरे/हमारे पास ..... पौध रोपण हेतु सुनिश्चित सिंचाई का स्रोत एवं साधन उपलब्ध है।
4. यह है कि मैं/हम .....पौध रोपण के लिये दिशानिर्देशानुसार देय अनुदान के अतिरिक्त आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर सहमत है। इसके साथ ही बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र लगाये जाने के लिये कृषक हिस्सा राशि हेतु वांछित अग्रिम जमा कराने पर भी सहमत है।
5. यह है कि मैं/हम ..... पौध रोपण हेतु पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी कृषण क्रियायें हमारे स्वयं के स्तर से करने पर सहमत है।
6. यह है कि मैं/हम ..... पौध रोपण के लिये आवश्यक फौन्सिंग स्वयं के स्तर से करेंगे।
7. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी गयी .....की पौध रोपण सामग्री को खेत में रोपित किया जाकर निरन्तर ..... वर्ष तक विभागीय सिफारिशानुसार देख-रेख की जायेगी। ऐसा नहीं करने पर पौधों की अनुदानित राशि मय बैंक ब्याज दर के वसूल करने के लिये कृषि विभाग स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

**FORMS**  
**GFR 19**  
**[See Rule 212 (1)]**  
**Form of Utilization Certificate**

Department/Agency:

(Amount in lacs)

S.No.	Letter no. and date	Amount
1	No.	
Category	SC	
	ST	
	GEN.	
2	No.	
	SC	
	ST	
	GEN.	
<b>Grand Total</b>		

Certified that out of Rs. .... lacs of grants-in-aid sanctioned during the year 2014-15 in favour of ..... under this Commissionerate letter no. given in the margin, the **total funds of RS.----- lacs** ( ----- for General,----- for SCP ,and ----- for TSP) as available for the year 2014-15 , a sum of ----- lacs ( ----- for General,----- for SCP and ----- for TSP)has been utilized for the purpose of NMOOP-MM-III for which it was sanctioned and that the balance of Rs. ----- lacs( ----- for General,----- for SCP ) remained unutilized as on dated -----

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

3. It is further certified that "**Expenditure for amount shown as spent in UC has been actually incurred and does not include any committed liability or funds merely transferred to field agencies etc. for implementation of scheme**".

Kinds of checks exercised.

1. Monthly review of expenditure.
2. Field visits

Signature .....

Designation .....

Date .....

